

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड बस्सी

क्रमांक: 1023

दिनांक: 19.09.2022

सेवामें,

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
वन्यजीव, जयपुर

विषय:- **“Widening and Strengthening of Mahngi to Dudhli Mod Via Bhawani, Bhawani Khurd, Saipur, Andhi, Sriramnagar, Virasna, Gaonli, Newal Maksundanpura, Chawandiya, District -Jaipur (Rajasthan)” Proposal No. FP/RJ/ROAD/151862/2022 के सम्बन्ध में।**

संदर्भ:- पत्र क्रमांक: एफ () FCA/उवसवजी/2022-23/3230 दिनांक 28.06.2022
महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत सदरित पत्र के क्रम में लेख है कि विभाग द्वारा ऑन लाईन प्रेषित प्रस्ताव **Widening and Strengthening of Mahngi to Dudhli Mod Via Bhawani, Bhawani Khurd, Saipur, Andhi, Sriramnagar, Virasna, Gaonli, Newal Maksundanpura, Chawandiya, District -Jaipur (Rajasthan)” Proposal No. FP/RJ/ROAD/151862/2022** में परीक्षण करने के उपरान्त जो आक्षेप लगाये गये हैं जिनकी पूर्ति निम्नानुसार की जाकर प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु पुनः प्रस्तुत है:-

क्र. सं.	आक्षेप	जवाब
1.	प्रकरण में प्रस्तुत Form A में Part 1 के Point no B के B-1, list of proposals submitted in past, information में सूचना सही नहीं है। यूजर एजेन्सी द्वारा पूर्व में प्रेषित प्रस्तावों का विवरण देना था।	पूर्व में वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु कोई प्रस्ताव प्रेषित नहीं है।
2.	Point no D के (a), में "Existing Road", दर्शाया गया है, जिसका विवरण प्रस्तुत करें।	सम्पूर्ण सड़क का वन भूमि डायवर्जन लिया जा रहा है। अतः किसी प्रकार के विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
3.	Point I में 1 के (a) and (b) wildlife clearance application के संबंध में प्रस्तावित रोड जमवारामगढ़ अभयारण्य क्षेत्र एवं ईको सेन्सिटिव जोन में दर्शायी गई है। प्रकरण में वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु आवश्यक क्षेत्रफल (3.5568 है0) व सेगमेंट 4 में वन भूमि में आने वाली सड़क की लम्बाई 51:00मी के स्थान पर 118मी संशोधित कर wildlife clearance के प्रस्ताव भी प्रस्तुत करें।	संशोधित कर wildlife clearance के प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर दिया गया है।
4.	Point K में 1 के (a), copy of documentary evidence in support of settlement of rights under the Forest Rights Act, 2006 on the Forest land proposed to be diverted, में सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करें।	Forest Rights Act, 2006 (FRA) की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर दी गई है। तथा FRA जारी करवाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
5.	Point L के बिन्दु 5 and 6 में बिन्दुवार चाहे गये दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड नहीं है। अतः प्रकरण में चाहे गये अनुसार दस्तावेज संलग्न करें।	Point L के बिन्दु 5 and 6 में बिन्दुवार चाहे गये दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड कर दिये गये हैं।
6.	प्रकरण में आप द्वारा परिवेश पोर्टल पर संशोधित प्रस्ताव अपलोड किये गये हैं। तदनुसार मूल प्रस्ताव (हार्डकॉपी) 1 प्रति में सम्पूर्ण दस्तावेजों सहित मय हस्ताक्षर शीघ्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।	संशोधित प्रस्ताव की हार्डकॉपी 1 प्रति में सम्पूर्ण दस्तावेजों सहित मय हस्ताक्षर कार्यालय में प्रस्तुत कर दी गई है।

21/9/22
अधिशाषी अभियन्ता
सा. नि. वि. (राजीव जैन) बस्सी
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड बस्सी, जयपुर